**भारत सरकार**
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

तारांकित प्रश्न सं. *280 जिसका उत्तर
**शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक)** को दिया जाना है

**नए ग्रीनफील्ड पत्तनों का विकास**

***280. श्री बैजयंत पांडा :**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश भर में नए ग्रीनफील्ड पत्तन बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में निर्माणाधीन और पहले से ही कार्यशील ग्रीनफील्ड पत्तनों की संख्या सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई?

उत्तर
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**
**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

**(क) से (ग):** विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**“नए ग्रीनफील्ड पत्तनों का विकास” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बैजयंत पांडा द्वारा पूछे गए दिनांक 13.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *280 के उत्तर के भाग (क) से (ग) तक में संदर्भित विवरण**

---

**(क) और (ख):** जी, हां। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून, 2024 की आयोजित अपनी बैठक में 74:26 की शेयरहोल्डिंग में क्रमश: जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के साथ वधावन पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीपीपीएल) द्वारा महाराष्ट्र के वधावन पर एक नए बड़े ग्रीन फील्ड पत्तन के विकास का अनुमोदन किया है। परियोजना की अनुमानित लागत 76,220 करोड़ रु. है। इस पत्तन में 20 मीटर का प्राकृतिक डुबाव तथा 298 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) प्रतिवर्ष की संचयी क्षमता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गलाथिया खाड़ी पर 04 सितंबर, 2024 को एक अन्य नए महापत्तन को अधिसूचित किया है।

**(ग):** जबकि भारत सरकार द्वारा वधावन पत्तन के लिए बजटीय सहायता निर्धारित नहीं की गई है, यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना के लिए वीपीपीएल द्वारा अपने खुद के संसाधनों और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से वित्तपोषण किया जाएगा। वीपीपीएल द्वारा परियोजना के लिए अब तक लगभग 170 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

*****